

सं0 5/8/2017-रा0भा0(सेवा)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर भवन),

“बी” विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001


दिनांक 30 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग के दिनांक 30 जुलाई, 2018 के समसंख्यक कार्यालय आदेश द्वारा विदेश मंत्रालय में कार्यरत श्री मनोज कुमार आबूसरिया, उप निदेशक (राभा) को संयुक्त निदेशक (राभा) के पद पर नियमित पदोन्नति देते हुए नीति आयोग में तैनाती के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए अब श्री मनोज कुमार आबूसरिया को तत्काल प्रभाव से पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय में तैनाती दी जाती है।

राजभाषा विभाग के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से श्री मनोज कुमार आबूसरिया को विदेश मंत्रालय से दिनांक 30.08.2018 (अपराह्न) से कार्यमुक्त (stand relieved) किया जाता है। श्री मनोज कुमार आबूसरिया को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे तत्काल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिपोर्ट करें। श्री मनोज कुमार आबूसरिया को विदेश मंत्रालय से अब औपचारिक कार्यभार मुक्त आदेश (formal relieving order) नहीं लेने हैं। श्री आबूसरिया की संयुक्त निदेशक (राभा) के पद पर नियमित पदोन्नति उनके तैनात किए गए विभाग में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही प्रभावी होंगी।

इसे सचिव (राजभाषा) की अनुमति से जारी किया जाता है।


(राजू लाल मीणा) 30/8/2018

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23438137

सेवा में,

श्री मनोज कुमार आबूसरिया,

उप निदेशक (राभा),

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासनिक अधिकारी (पी.एफ.पी.आर), विदेश मंत्रालय, कमरा नं0 4085, ब्लॉक-बी, जवाहर लाल नेहरू भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि श्री मनोज कुमार आबूसरिया, उप निदेशक (राजभाषा) की सेवापंजी/एलपीसी इत्यादि दस्तावेज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली में सीधे ही भिजवा दें।
- 2 आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विदेश मंत्रालय, ब्लॉक-बी, जवाहर नेहरू भवन, नई दिल्ली।

3. अवर सचिव (स्थापना) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, आई एम डी कम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, आई एम डी कम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
5. अवर सचिव(प्रशासन-11) नीति आयोग, नीति भवन, संसद भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
6. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।